

HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON WEDNESDAY, THE 22ND DECEMBER, 2021 AT 10.00 A.M.

I. QUESTIONS.

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

II. MOTION UNDER RULE 15.

A MINISTER to move that the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly', indefinitely.

III. MOTION UNDER RULE 16.

A MINISTER to move that the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

IV. ZERO HOUR.

V. CALLING ATTENTION NOTICE

- (i) Calling Attention Notice No.31 regarding steps to Curb new Covid Variant Omicron in Haryana notice given of by **Shri Chiranjeev Rao, MLA.**

Calling Attention Notice Nos. 35 (Shri Abhay Singh Chautala, MLA), 38 (Shri Balraj Kundu, MLA) & 47 (Smt. Kiran Choudhry, MLA), on the similar subject clubbed with Calling Attention Notice No. 31. The Hon'ble Members may also raise supplementary at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 31.

- (ii) Calling Attention Notice No.43 regarding registration of agriculture produce by the farmers under Meri Fasal, Mera Byora notice given of by (i) **Shri Varun Chaudhry, MLA,**
(ii) **Shri Amit Sihag, MLA.**

Calling Attention Notice No. 48 given by Shri Abhay Singh Chautala, MLA, on the similar subject clubbed with Calling Attention Notice 43. The Hon'ble Member may also raise supplementary at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 43.

VI. PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE.

1. A MINISTER to lay on the Table the Town & Country Planning Department Notification No. PF-69/2021/22174, dated the 6th September, 2021, as required under section 24 (3) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

2. A MINISTER to lay on the Table the Education Department Notification No. S.O. 67/H.A. 12/1999/S. 24/2004, dated the 1st March, 2021, as required under section 24(3) of the Haryana School Education Act, 1995.
3. A MINISTER to lay on the Table the Education Department Notification No. 8/134-2019 PS(1), dated the 16th April, 2021, as required under section 24(3) of the Haryana School Education Act, 1995.
4. A MINISTER to lay on the Table the Education Department Notification No. 7/24-2020 PS(4), dated the 8th December, 2021, as required under section 24(3) of the Haryana School Education Act, 1995.
5. A MINISTER to lay on the Table the 4th Annual Report of the Haryana Medical Services Corporation Limited for the year 2017-2018, as required under section 395 (b) of the Companies Act, 2013.
6. FINANCE MINISTER to lay on the Table the Report of the Comptroller and Auditor General of India on Compliance Audit of Social, General and Economic Sectors for the year ended 31st March, 2020 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

VII. LEGISLATIVE BUSINESS.

(i) (Bills for introduction, consideration and passing)

1. The Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 2021	A MINISTER	to move for leave to introduce the Haryana Appropriation (No. 4) Bill; Also to introduce the Bill. to move that the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
2. The Haryana Agricultural Produce Markets (Amendment) Bill, 2021	A MINISTER	to move for leave to introduce the Haryana Agricultural Produce Markets (Amendment) Bill; Also to introduce the Bill. to move that the Haryana Agricultural Produce Markets (Amendment) Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.

(ii) (Bills for consideration and passing)

1. The Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Amendment and Validation) Bill, 2021	A MINISTER	to move that the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Amendment and Validation) Bill, be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
2. The Panchkula Metropolitan Development Authority (Amendment) Bill, 2021	A MINISTER	to move that the Panchkula Metropolitan Development Authority (Amendment) Bill, be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.

3. The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas Outside Municipal Area (Special Provisions) Bill, 2021	A MINISTER	to move that the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas Outside Municipal Area (Special Provisions) Bill, be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
4. The Haryana Excise (Amendment) Bill, 2021	A MINISTER	to move that the Haryana Excise (Amendment) Bill, be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.

**CHANDIGARH:
THE 21ST DECEMBER, 2021.**

**RAJENDER KUMAR NANDAL,
SECRETARY.**

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 22 दिसम्बर, 2021 को 10.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची ।

I. प्रश्न

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम “सभा की बैठकें” के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

III. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

IV. शून्य काल

V. ध्यानाकर्षण सूचना

(i) ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-31

श्री चिरंजीव राव, एम.एल.ए. द्वारा हरियाणा में नए कोविड वैरिएंट ओमिक्रोन पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए पगों से संबंधित सूचना।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 35 (श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए.), 38 (श्री बलराज कूडू एम.एल.ए.) तथा 47 (श्रीमती किरण चौधरी, एम.एल.ए.) द्वारा इसी विषय पर दी गई सूचना को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 31 के साथ क्लब कर दी गई। माननीय सदस्यगण भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 31 पर चर्चा के समय अनुपूरक उठा सकते हैं।

(ii) ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-43

(i) श्री वरुण चौधरी, एम.एल.ए.,

(ii) श्री अमित सिहाग, एम.एल.ए. द्वारा मेरी फसल, मेरा ब्यौरा के अंतर्गत किसानों द्वारा कृषि उपज के पंजीकरण से संबंधित सूचना।

श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए., द्वारा इसी विषय पर दी गई ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 48 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 के साथ क्लब कर दी गई है। माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 पर चर्चा के समय अनुपूरक उठा सकते हैं।

VI. सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज-पत्र

1. एक मंत्री हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या पीएफ-69/2021/22174, दिनांकित 06 सितम्बर, 2021 मेज पर रखेंगे।
2. एक मंत्री हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ. 67/एच. ए. 12/1999/एस. 24/2004, दिनांकित 1 मार्च, 2021 मेज पर रखेंगे।
3. एक मंत्री हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या 8/134-2019/पीएस(1), दिनांकित 16 अप्रैल, 2021 मेज पर रखेंगे।
4. एक मंत्री हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या 7/24-2020/पीएस(4), दिनांकित 8 दिसम्बर, 2021 मेज पर रखेंगे।
5. एक मंत्री कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2017-18 के लिए हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
6. वित्त मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों की अनुपालन लेखा परीक्षा पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

VII. विधायी कार्य

(i) (प्रस्तुतीकरण, विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2021
एक मंत्री हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे;
विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;
प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;
यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
2. हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2021
एक मंत्री हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे;
विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;
प्रस्ताव करेंगे कि कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए;
यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(ii) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021.
एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए;
यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
2. पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021.
एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए;
यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

3. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2021. **एक मंत्री**
- प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए;
- यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
4. हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021. **एक मंत्री**
- प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए;
- यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

चण्डीगढ़:
21 दिसम्बर, 2021.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।